

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसंप्र/2013/398

दिनांक:- 14/6/13

कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल की माही आवासीय योजना एवं माही सरोवर "विस्तार" आवासीय योजना, बांसवाडा, खण्ड-डूंगरपुर के अवशिष्ट आवासों को जहां है जैसे है की स्थिति में नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास की संख्या	आवास संख्या
1	माही आवासीय योजना, बांसवाडा	मध्यम आय वर्ग - 'ब'	1	1-A-53
2	माही आवासीय योजना, बांसवाडा	अल्प आय वर्ग	2	2-A-31 2-Q-08
3	माही सरोवर "विस्तार" योजना, बांसवाडा	आ. दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3	2/141 2/143 2/147
		कुल आवास =	6	

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(डा० आर.वेंकटेश्वरन)
आवासन

आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय,/पी.एण्ड.एम अति० मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब साईट पर डलवाये व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को ई-मेल करवाये।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक